



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264437
CG-DL-E-07072025-264437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947

No. 2953]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3020(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) (जिसे इसके बाद "आयकर अधिनियम" कहा जाएगा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "राजस्थान हाउसिंग बोर्ड" (पैन: AAALR0046F) (जिसे इसके बाद "निर्धारिती" कहा जाएगा), राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 4) के तहत गठित बोर्ड को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ 'राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1970' (1970 का अधिनियम संख्या 4) के तहत गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं 72 /2025/ फा. सं. 300195/8/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव